

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

॥ ज्ञापन ॥

30 OCT 2025

क्रमांक / ११०८ / २५

उज्जैन, दिनांक -

प्रति,

अध्यक्ष,

जिला अभिभाषक संघ, उज्जैन,

तहसील न्यायालय बड़नगर, महिदपुर, नागदा, खाचरौद तराना।

विषय - अभिरक्षाधीन बंदियों से अभिभाषकगण की व्ही.सी. के माध्यम से बातचीत की सुविधा बाबत।

—०—

उपरोक्त विषयान्तर्गत यथाआदेशानुसार लेख है कि आपके द्वारा अभिरक्षा अधीन बंदियों से उनके अभिभाषकों की बातचीत के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने हेतु जिला न्यायालय उज्जैन के व्ही.सी. कक्ष में समय सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे एवं सायं 04:30 बजे से 05:30 बजे तक व्ही.सी. की सुविधा संबंधित कारागार से व्ही.सी. कॉर्डिनेटर के द्वारा निष्पादित कराये जाने के लिए निम्नानुसार बिंदुओं के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है:-

01. जो अधिवक्ता अपने पक्षकार/अभिरक्षाधीन बंदी से व्ही.सी. के माध्यम से चर्चा करना चाहते हैं वे एक दिवस पूर्व परिशिष्ट-‘ए’ का प्रारूप आवेदन भरकर प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुविभाग, जिला न्यायालय उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

02. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुविभाग, जिला न्यायालय उज्जैन प्रत्येक दिवस के 02:00 बजे तक प्रस्तुत किये गये आवेदन के आधार पर आगामी कार्यदिवस में व्ही.सी. से अभियुक्त एवं अधिवक्ता के मध्य सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे एवं सायं 04:30 बजे से 05:30 बजे तक के 15-15 मिनट के स्लोट लेख करते हुए अधीक्षक/उपअधीक्षक, केन्द्रीय सर्किल/जिला जेल तथा उपजेल को ई-मेल के माध्यम से विवरण भेजकर सूचित करेंगे।

03. निश्चित किये गये समय पर अधिवक्ता अपने पक्षकार/अभिरक्षाधीन बंदी से निर्धारित स्लोट अवधि में चर्चा कर सकेंगे। उन्हीं अधिवक्ताओं को अनुमति होगी, जिन्हें प्रकरण में पैरवी हेतु पक्षकार ने अधिकृत किया हो, जिसके संबंध में अधिवक्ता उपरोक्त प्रारूप आवेदन में सही जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।

04. पुनः अधिवक्ता यदि अपने पक्षकार/अभिरक्षाधीन बंदी से उक्त रीति से चर्चा करना चाहें तो उन्हें उपलब्ध स्लोट की संख्या को देखते हुए समय प्रदान किया जा सकेगा, जो कम से कम तीन दिवस तक हो सकेगा।

अतः आपकी ओर उक्त सुविधा की जानकारी समस्त अभिभाषकगण को सूचित कराये जाने तथा सूचना पटल पर चस्पा किये जाने बाबत् प्रेषित।

संलग्न- परिशिष्ट 'ए',

वास्ते- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला न्यायालय उज्जैन

कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक / / 25

उज्जैन, दिनांक -

प्रतिलिपि-

01. समस्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
02. समस्त अधीक्षक/उपअधीक्षक, केन्द्रीय जेल उज्जैन तथा उपजेल खाचरौद, महिदपुर, बड़नगर, तराना की ओर उक्त सुविधा के संबंध में सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय उज्जैन को उक्त सुविधा के संबंध में जिला न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट पर पत्र व प्रारूप परिशिष्ट-‘ए’ अपलोड किये जाने प्रेषित।
04. जिला न्यायालय उज्जैन में पदस्थ व्ही.सी. कॉर्डिनेटर तथा तहसील न्यायालयों में पदस्थ आई.टी. असिस्टेंट को उक्त सुविधा का पालन करने हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे व्ही.सी. कक्ष में 02:00 बजे तक अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रों को प्राप्त करेंगे। आवेदन प्राप्त करने के उपरांत उक्त आवेदन पत्र को व्ही.सी. से मुलाकात की पंजी में दर्ज कर संबंधित न्यायालय की ओर आवेदन के विवरण की पुष्टि हेतु प्रेषित करेंगे। आवेदन प्राप्ति दिनांक को ही शाम 04:00 बजे तक न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर अगले दिन की स्लॉट प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुविभाग के निर्देशानुसार तैयार किये जाने एवं संबंधित जेल को सूचित किये जाने बाबत् पत्र तैयार करेंगे तथा स्लॉट की जानकारी नोटिस बोर्ड पर लगायेंगे एवं आगामी कार्यदिवस में नियत किये गये स्लॉट अनुसार व्ही.सी. कक्ष में व्ही.सी. संपन्न करायेंगे।

संलग्न- परिशिष्ट 'ए',

—Sd—
वास्ते- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला न्यायालय उज्जैन

अभिरक्षाधीन अभियुक्त से व्ही.सी. के माध्यम से मुलाकात करने का फॉर्म

प्रति,

प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुविभाग
जिला न्यायालय उज्जैन म.प्र.

विषय – अभियुक्त से मुलाकात कराये जाने बाबत।

01. अभियुक्त का विवरण.....
..... ।
02. अपराध क्रमांक थाना.....
03. धारा.....अधिनियम.....
04. प्रकरण क्रमांक (यदि हो).....
05. किस कारागार में निरुद्ध है.....
06. अधिवक्ता का नाम.....
07. अधिवक्ता का सनद क्रमांक.....
08. न्यायालय जिसमें प्रकरण विचाराधीन है.....
09. क्या अभियुक्त की पैरवी हेतु अधिकृत है चुने.....हाँ/नहीं
10. अधिवक्ता का मोबाइल नम्बर—

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11. जिस दिनांक को व्ही.सी. से जुड़ना चाहते हैं.....
12. जिस समय के स्लॉट में समय चाहते हैं। (चुने)
 10:30 एएम से 11:30 पीएम.....
 04:30 एएम से 05:30 पीएम.....
13. अन्य कोई जानकारी जो आवश्यक समझे.....

हस्ताक्षर
(अधिवक्ता)

नोट :- 01. सम्पूर्ण जानकारी सही भरी जावे।

02. एक बार व्ही.सी. के बाद पुनः 03 दिवस तक व्ही.सी. उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी।

03. एक व्ही.सी. अधिकतम 15 मिनट की होगी।